राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हनुमान सिंह बनाम सुशीला कँवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो		
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/07/2019 पारित करते हुये ग्राम रानियावास तहसील जमवारामगढ़ के खाता संख्या 115 नया, पुराने 96 के खसरा नम्बर 407 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.27 हैक्टेयर व खाता संख्या 116 नया व पुराना 109 के खसरा नम्बर 396 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खाता संख्या 112 नया द पुराना 95 के खसरा नम्बर 786 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 822 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 827 रकबा 0.63 हैक्टेयर में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार, मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुये सरस-नरस के आधार पर तहसीलदार जमवारामगढ़ को पक्षकारान को सूचित करते हुये कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/04/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30/10/2 9 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस उचित	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन वाद के अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 21/03/2017 को ख़ारिज हो जाने के उपरान्त उसके रेस्टोर होने के पश्चात अपीलार्थी को कोई नोटिस/सूचना दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो विधिक प्रक्रियां एवं प्रावधानों के विपरित सिद्ध होती है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होते है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना जाहिर होता है | ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर अपीलार्थी सहित शेष पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30/10/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी सहित शेष पक्षकारान को साक्ष्य-सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर